प्रेस नोट- दिनांक 04.02.2024

इटावा पुलिस द्वारा गोवंशों की तस्करी करने वाले 02 अन्तर्राज्यीय गौ तस्करों को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार ,

कब्जे से 02 तमंचा, 04 जिन्दा कारतूस तथा 02 खोखा कारतूस किये गये बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना का विवरण-

दिनांक 28/29.01.2024 की रात्रि को थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा गौरक्षक दल की सहायता से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर KM संख्या 133 पर गोवंश से भरे 01 कन्टेनर को पकडा गया था जिसमें ट्रक चालक एवं उसका साथी मौके से भागने में सफल रहे थे । थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा कन्टेनर को कब्जे में लेकर चेक किया गया तो कन्टेनर से कुल 30 गौवंश (2 गाय व 28 सांड) बरामद किये गये तथा कन्टेनर पर RJ18GA4099 नम्बर की फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई थी । उक्त के संबंध में थाना ऊसराहार पर मु0अ0सं0 15/24 धारा 3/8/5(ख)(क)(7) गौवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 व धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना ऊसराहार से पुलिस टीम का गठन किया गया ।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे गौतस्करी/ गौकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे दिनांक 03.02.2024 को थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 15/24 से संबंधित अभियुक्तगण स्विफ्ट डिजायर कार में खरगपुर सरैया की ओर से नगला भगे की ओर आ रहे है । सूचना पर तत्काल ऊसराहार पुलिस द्वारा खरगपुर सरैया बम्बा के पास चैंकिग की जाने लगी तभी 01 स्विफ्ट कार आती दिखायी दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो चालक व उसके साथी द्वारा कार को भगाने का प्रयास किया गया जिनका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया

। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर 02 अभियुक्तों को खरगपुर सरैया बम्बा के पास से समय 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा बरामद कार को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तों की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये तथा पूछताछ करने पर बताया कि हम तथा हमारे साथी राजस्थान की घुमक्कड जातियों के संपर्क में रहते है तथा उनसे सस्ते दामों में गोवंश खरीदकर बिहार राज्य के गया तथा सिवान जनपदों में अच्छे दामों पर बेच देते है। साथ ही बताया कि तमंचा व कारतूस विपरित परिस्थियों में लोगों को डराने हेतु अपने पास रखते है।।

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी तथा पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में थाना ऊसराहार पर मु0अ0सं0 23/2024 धारा 307 भादवि तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नोटः-अभियुक्तों की निशादेही के आधार पर 04 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये है जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जायेगी।

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0 15/24 धारा 3/8/5(ख)(क)(7) गौवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना ऊसराहार जनपद इटावा।

02. मु0अ0सं0 23/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.गोस मोहम्मद उर्फ गुड्डू पुत्र जहूर निवासी मोहल्ला कोट गर्वी थाना संभल कोतवाली जनपद संभल उम्र 24 वर्ष।

2.सलमान पुत्र जहूर निवासी मोहल्ला कोट गर्वी थाना संभल कोतवाली जनपद संभल उम्र 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

सलमान पुत्र जहूर

1.मु0अ0सं0 400/2015 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गो निवारण अधिनियम व 11 पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना असनौली जनपद संभल। ।

2.मु0अ0सं0 006/2020 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व 11 पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम व 419, 420, 467, 468, 471 भादवि0 थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।

3.मु0अ0सं0 50/2021 धारा 3(1) गैगेस्टर अधिनियम थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।

4.मु0अ0सं0 05/2024 धारा 2/3 गैगेस्टर अधिनियम थाना बेवर जनपद मैनपुरी।

5.मु0अ0सं0 294/2023 धारा 3/5/8 गो हत्या निवारण अधिनियम व 11/20 पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम व 420 भादवि0 थाना बेवर जनपद मैनपुरी।

6.मु0अ0सं0 1106/2018 धारा 41 CRPC व 414 भादवि0 थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

7.मु0अ0सं0 15/24 धारा 3/8/5(ख)(क)(7) गौवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना ऊसराहार जनपद इटावा।

8.मु0अ0सं0 23/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा।

<u>गोस मोहम्मद उर्फ गुड्डू पुत्र जहूर</u>

1.मु0अ0सं0 71/2019 धारा 3/5ए/8 गो हत्या अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3 पशु क्रूरता की रोकथाम नियम व 120बी/420/467/467/471 भादवि0 थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

2.मु0अ0सं0 294/2023 धारा 3/5/8 गो हत्या अधिनियम व 11/20 पशु के प्रति क्रूरता अधिनियम व 420 भादवि0 थाना बेवर जनपद मैनपुरी।

3.मु0अ0सं0 221/2019 धारा 3/5ए/8 गो हत्या अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना ऊसराहार।

4.मु0अ0सं0 63/2020 धारा 3(1) गैगेस्टर अधिनियम थाना ऊसराहार।

5.मु0अ0सं0 15/24 धारा 3/8/5(ख)(क)(7) गौवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना ऊसराहार जनपद इटावा।

6.मु0अ0सं0 23/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा।

<u>बरादमगी:-</u>

01.02 तमंचा 315 बोर

02.02 खोखा कारतूस 315 बोर

03.04 जिंदा कारतूस 315 बोर

04.01 स्विफ्ट डिजायर UP32FL0533 (अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

पुलिस टीमः- उ0नि0 श्री हेमन्त कुमार सोलंकी थानाध्यक्ष ऊसराहार, उ0नि0 श्री संजय सिंह, का0 बलराम सिंह, का0 हेमराज, चा0का0 हनीफ।